न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

हरशहाय बनाम रमेश

वाद संख्या— 02 / 124 / 2023

07.07.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया किया विवादीत आराजी खाता संख्या 78 खसरा संख्या 08 / 0.42 वाकै ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर के कब्जे काश्त, फसल बोने—लाने— ले जाने में प्रार्थी के साथ किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें। ना ही आराजी पर जबरन कब्जा करें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 04 / 08 / 2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादीत आराजी खाता संख्या 78 खसरा संख्या 8 / 0.42 वाकै ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखअंदाजी नही करें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालंय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 04 / 08 / 2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी राजगढ

जिला—अलवर

04/08/23 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। बाद तलबी जरिए Reg. दि. 1/9/23 को पेश हो। TI प्रभावी रहेगी। [signature]

SDO

1/9/23 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 22/11/23 को पेश हो

S.D.O.

22/11/23 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 1/3/24 को पेश हो। [signature] रीडर

1/3/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/5/24 को पेश हो। [signature] रीडर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	03/12/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। वास्ते बहस हेतु दि. 17-12-2025 को पेश हो। SDO 15-01-2026 पत्रावली पेश। वकील वादी/प्रार्थी उप.। मुलवाद का निस्तारण हो जाने के कारण प्रा. पत्र 2/2 की कार्यवाही भी ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मुलवाद के साथ जमा लेख भण्डार हो। SDO